28/3/2018 अपीलान्ट अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्डाधिकारी सैंपऊ से टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 20.02.2018 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट ने दिनांक 03.04.17 को ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा में घटिया रोड निर्माण की जांच बावत परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसे मूल ही जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ को भिजवाया गया था। विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ द्वारा कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है। विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त नही होने के कारण अपीलान्ट को नकल उपलब्ध नही हुई है। दिनांक 17.08.2017 को आवेदक द्वारा इस कार्यालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है।

अतः अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति भिजवाते हुए लिखा जावे कि विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ से जांच रिपोर्ट लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त नही हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ के विरूद्ध अपील सुनने हेतु यह न्यायालय सक्षम नही है। अतः जांच के सम्बन्ध में अपीलान्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नही कराने की स्थिति में अपीलान्ट सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली पर इस न्यायालय से अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो।

h.S
2/4/18

जिला कलक्टर
धौलपुर